206
07-7-2017

343
24-06-17

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा),उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
कानपुर मण्डल

पत्रांक डिग्री डिग्री विकास/ 160-79 /2017-18 दिनांक 18.5. ,2017

विषयः--प्रधानमंत्री आवास योजना में केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत कम आय वाले व्यक्तियों को उनके आवासो के निर्माण व नवीनीकरण कार्य के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के माध्यम से सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या--हड़को/ल0क्षे0क0/सीएलएसएस/2017/4 दिनांक 06.04.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" में केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत कम आय वाले व्यक्तियों को उनके आवासों के निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य के लिये हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0(हडको) के माध्यम से अनुदान दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 03 लाख तक, अल्प आय वर्ग के वे व्यक्ति जिनकी आय 3 से 6 लाख रूपये तक, मध्यम आय वर्ग--1 के वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख तक तथा मध्यम आय वर्ग--2 के वे व्यक्ति जिनकी आय 12 से 18 लाख रूपये तक हो और जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, इस सुविधा के पात्र है। अपने आवास निर्माण करने अथवा मौजूदा मकान के नवीनीकरण कार्य हेतु हडको, बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग के पात्र व्यक्तिओं को 6.50 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग--1 के लिये 4 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग--2 के लिये 3 प्रतिशत ब्याज की अनुदान राशि हाडको के माध्यम से अग्रिम तौर पर दिये जाने का प्राविधान है।

केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए संलग्न--1 एवं मध्यम आय वर्ग के लिये संलग्क--2 इस अनुरोध के साथ इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है कि आप अपने अधीनस्थ दुर्बल आय को अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के समस्त कर्मचारियों एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापको एवं कर्मचारियों, जो कि उक्त योजना के दायरे में आते हो, को किसी भी बैंक/हाउसिंग फाइनेन्स इन्सीट्यूशन्स/हडको से आवास निर्माण हेतु ऋण लेकर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रसारित करने का कष्ट करे ताकि योजना का लाभ उचित व्यक्तिओं को मिल सके।

संलग्नक--उक्तवत--3

भवदीय,

डा0(उर्मिला सिंह)
संयुक्त निदेशक(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री विकास/ /2017-18 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि अपने अनुभाग के कर्मचारियों को इस योजना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण(उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग--4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

डा0(उर्मिला सिंह)
संयुक्त निदेशक(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सी0 एस0 जे0 एम0 विश्वविद्यालय परिसर,
कानपुर मण्डल, कानपुर ।

205
07-07-2017

Smt. Shweta
8.7.17

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक / कुलसचिव,
समस्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय,
कानपुर मण्डल।

पत्रांक: क्षे0का0का0 / 1132-33 / 2017–18 दिनांक 07-07-17

विषयः– प्राधानमंत्री आवास योजना में केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत कम आय वाले व्यक्तियों को उनके आवासों के निर्माण व नवीनीकरण कार्य के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के माध्यम से सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0) के पत्रांक डिग्री विकास / 160–79 / 2017–18 दिनांक 18.05.2017 (संलग्नक) के अनुसार सम्बन्धित योजना को महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ को अपने स्तर से अवगत कराते हुए प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें। ज्ञातव्य है कि यह योजना समाज के विभिन्न आर्य वर्ग वाले परिवारों के हित के लिए बनाई गयी है।

सलग्नक–उक्तवत्

भवदीय,

(डॉ, अनिल कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
कानपुर मण्डल, कानपुर।

पृष्ठांकनःक्षे0का0का0 / 1132-33 / 2017–18 तद् दिनांक
प्रतिलिपिः–शिक्षा निदेशक (उ0शि0), उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, इलाहाबाद को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ, अनिल कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
कानपुर मण्डल, कानपुर।